

पर विक्रेता श्री कपिल खण्डेलवाल तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग-अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर AG-3757 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 29.08.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 28.08.2023 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) के नमूने की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /1588/एक्ट/2023/1610 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार विक्रेता श्री कपिल खण्डेलवाल से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गये खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के रेगुलेशन संख्या 2.3.15(b) (विक्रय एवं प्रतिषेध) का उल्लंघन करने का कारण कॉन्ट्रावेन(Contrvене) स्तर का पाया गया

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1588/एक्ट/2023/1610 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के रेगुलेशन संख्या 2.3.15(b) (विक्रय एवं प्रतिषेध) का उल्लंघन करने का कारण कॉन्ट्रावेन(Contrvене) स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है। प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) के पैक टिन को खोलकर ग्राहको की मांग के अनुसार खुला विक्रय किया है। इसमें किसी प्रकार की प्रार्थी की ओर से मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी दुकानदार को यह मालूम नहीं था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार खुला सरसों का तेल विक्रय करना वर्जित है। भविष्य में प्रार्थी दुकानदार द्वारा खुला सरसों का तेल का विक्रय नहीं किया जावेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये प्रार्थी को माफ किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./1588/एक्ट/2023/1610 दिनांक 10.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का नमूना खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के रेगुलेशन संख्या 2.3.15(b) (विक्रय एवं प्रतिषेध) का उल्लंघन करने का कारण कॉन्ट्रावेन(Contrvene) स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (V) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 58 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा सरसों तेल खुला (Mustard Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री कपिल खण्डेलवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोहर किराणा स्टोर नया कटला दौसा निवासी नई मण्डी रोड दौसा पर 15000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.02.2024 के एक माह के अन्दर-अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210-04-800-03-00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में

प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

दिनांक:- 26.02.2024

क्रमांक / FSSA / 2024 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री कपिल खण्डेलवाल पुत्र श्री बद्रीनारायण गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स मनोहर किराणा स्टोर नया कटला दौसा निवासी नई मण्डी रोड दौसा।

(नरेश बुनकर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा